निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 79/2021
दायरा दिनांकः—21.10.2021
निर्णय दिनांकः— 18.11.25

उनवान

1. बदरीलाल आयु 61 वर्ष
2. नंदकिशोर आयु 56 वर्ष
3. शंकरलाल आयु 51 वर्ष
4. सत्यनारायण आयु 44 वर्ष
5. बल्लभ आयु 42 वर्ष
6. मोहन आयु 40 वर्ष पिसरान उकारलाल जाति मालीयान निवासीगण छबडा तहासील छबडा जिला बारां (राज0)
7. मुस0 प्रेम आयु 53 वर्ष
8. मुस0 गोरधनी आयु 46 वर्ष
9. मुस0 इन्द्रा आयु 45 वर्ष पुत्रिया उकारलाल जाति मालियान निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 18.11.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम टोडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमिया खसरा नम्बरान 337 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 338 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा अवस्थित है जो पूर्व में राज्य सरकार के नाम खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू.अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही थी। कि उक्त वर्णित भूमियों को प्रार्थीगण के ग्रान्ड फादर मोतीलाल ने अर्सा लगभग 80 वर्षों पूर्व फाड़ तौड़कर कर तथा हाक जोतकर काबिल काश्त की थी। जब से ही मोतीलाल अपने जीवन पर्यन्त तक तथा उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् से उसका पुत्र अर्थात् प्रार्थीगण के पिता उकारलाल अपने जीवन पर्यन्त तक तथा उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् से प्रार्थीगण जो कि उकारलाल के जायज वारिस तथा कायम मुकामान है. नियमित रूप से अभी तक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हैसियत मालिक एवं खातेदारान के उक्त वर्णित भूमियों पर काबिज है, और काश्त करते हुए चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमियों पर प्रार्थीगण का गत 80 वर्षों से अर्थात् अपने पूर्वजो के समय से ही अधिपत्य होने के कारण उनका उक्त वर्णित भूमियों पर ऐडवर्ष पजेशन (कब्जा मुखालपाना) हो चुका है, और बाई ऑपरेशन ऑफ ला के तहत् प्रार्थीगण स्वतःही खातेदारी की श्रेणी को प्राप्त कर चुके है. और धारा 63 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत् मूल खातेदार अर्थात राज्य सरकार एवं उसके बाद नगरपालिका की खातेदारी स्वतःही समाप्त हो चुकी है। उक्त वर्णित भूमियों को सिंचित करने हेतु प्रार्थीगण ने गत् 35 वर्षों पूर्व कुंए का निर्माण कराया तथा कुऐ में पानी सूख जाने के पश्चात् प्रार्थीगण ने गत् 23 वर्षों पूर्व ट्यूबवैल खुदवा कर बिजली कनेक्शन भी करवाया एवं निवास हेतु पक्का मकान का निर्माण भी कराया उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण ने मौजूदा समय में फसल भी बो रखी है। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का अर्थात् अपने पूर्वजो के समय से ही गत् 80 वर्षों से अधिपत्य होने के कारण प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियों पर कानूनन खातेदारी की श्रेणी को प्राप्त कर लेने के कारण प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित भूमियों को जब कि भूमियां राज्य सरकार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु न्यायालय एस०डी०ओ०छबड़ा के समक्ष बाद राजस्थान सरकार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88.89.91 आर०टी०ए के तहत् दिनांक 17/02/2010 को पेश किया जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद के विचाराधीन होते हुए भी दौराने वाद बिना सूचना एवं बगैर जानकारी चुपचाप एक पक्षीय तौर पर प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रहीं उक्त वर्णित भूमियां जिला कलेक्टर बारां के आदेश दिनांक 18/07/2011 की अनुपालना में तहसीलदार छबडा द्वारा नगर पालिका छबड़ा के पक्ष में इतकाल नम्बर 488 तस्दीक कर भूमियां नगर पालिका छबड़ा के नाम हस्तान्तरित कर दी है. और नगर पालिका छबड़ा उक्त वर्णित भूमियों की मुनाफा काश्त की बोली लगवाने को आमादा है। अप्रार्थी क्रम संख्या 1 जिला कलेक्टर महोदय को उक्त वर्णित भूमियों को दोराने वाद अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीके से प्रतिवादी कम संख्या 3 नगर पालिका छबडा के नाम हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था और अप्रार्थी क्रम संख्या 2 तहसीलदार छबड़ा को भी इन्तकाल तस्दीक करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था ऐसी हालत में अप्रार्थी क्रम संख्या 3 नगर पालिका को भी दोराने प्रार्थना पत्र का उक्त वर्णित भूमियो की मुनाफा काश्त की बोली की विज्ञप्ती जारी करने का कोई वैधानिक एंव कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योकि उक्त समस्त कार्यवाही अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से की गई है। जो अवैध एंव प्रभाव शून्य है। अत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम संख्या श्रीमान जिला कलेक्टर बारां के आदेश दिनांक 18/07/2011 एवं उसकी अनुपालना में अप्रार्थी क्रम 2 तहसीलदार छबड़ा द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 488 को अवैध एंव प्रभाव शून्य घोषित कराकर उसको निरस्त कराने एव भूमियो को प्रार्थीगण अपने नाम खातेदारी में अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज कराने के वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारी है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार छवडा के रेवेन्यु अधिकारियों से सम्पर्क कर जिला कलेक्टर बारां के आदेश दिनांक 18/07/2011 एवं उसकी अनुपालना में तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 488 को अवैध एव प्रभाव शून्य घोषित कर उसको निरस्त किये जाने एंव भूमियो को प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने का कई मर्तबा अनुरोध किया एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा से भी उक्त भूमियो की मुनाफा काश्त की बोली को स्थगित किया जाने का अनुरोध किया किन्तु प्रार्थीगण की कोई सुनवाई नहीं की अन्त में दिनांक 15.6.2021 को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न अनुरोध करने पर तहसीलदार छबडा एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने प्रार्थीगण को हिदायत दी। यदि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबंद नहीं किया गया तो वह प्रार्थीगण को उक्त वर्णित भूमियो को काश्त करने में बाधाये उत्पन्न करेगे और जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को उक्त वर्णित भूमियों से बेदखल करने का प्रयास करेगे जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को दीगर मुकदमे बाजियो में मसरूफ होकर जेरबार होना पड़ेगा और प्रार्थीगण को अपार आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना नितान्त असंभव हो जावेगा अत प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद जारी कराने के वैधानिक एव कानूनी तौर पर अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्य सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी क्रम 3 की ओर से जवाब पेश हुआ नकल खसरा परिवर्तित ग्राम टोडी सम्वत् 2042 नकल खसरा परिवर्तित ग्राम टोडी सम्वत् 2044 सम्वत् 2057 सम्वत् 2059 सम्वत् 260 सम्वत् 2061 सम्वत् 2063 सम्वत् 2068 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम टोडी सम्वत् 2029–32 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम टोडी सम्वत् 2033–36 नकल खसरा गिरदावरी सम्व्त् 2029–32 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2033–36 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम टोडी सम्वत् 2049–52 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम टोडी सम्वत् 2053–56 नकल इन्तकाल नम्बर 488 दिनांक 25.10.2011 नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 नकल आदेश दिनांक 18.07.2011 जिला कलक्टर बारां रशीद लगान रशीद नम्बर 32,34,18,54,14,15, फोटो प्रति नकल दावा मय आर्डर शीट दिनांक 17.02.2011 से 15.07.2015 न्यायालय SDM छबडा मुकदमा नम्बर 14/2010 दनवान बदरीलाल बनाम सरकार पेश की गई।

अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में बताया कि प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 3 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करके अतिक्रमण कर रहे है जिनका अतिक्रमण न्यायहित व जनहित में हटवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है प्रार्थीगण को सरकारी भूमियात से बेदखल कर अतिक्रमण नही हटवाया गया तो राजस्व का अप्रार्थीगण का काफी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति होना असम्भव है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी तहसील छबडा में स्थित है जो पूर्व में राज्य सरकार के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि पर प्रार्थी के पूर्वजों का लगभग 80 वर्षो पूर्व फाड तोड कर काबिज काश्त की थी प्रार्थी के दादा मोतीलाल की मृत्यु के बाद प्रार्थी के पिता उंकारलाल का एवं उनकी मृत्यु के वाद प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है पूर्वजों के समय से अधिपत्य होने के कारण उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन एवं नगर पालिका छबडा की खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण ने मौजूदा समय सें फसल बो रखी है प्रार्थीगण द्वारा गत 23 वर्ष पर्व ट्यूबवैल लगवा रख है तथा बिजली कनेक्शन भी करवा रख है प्रार्थी का उक्त भूमि में मकान बना हुआ है जिामें प्रार्थीगण निवास कर रहे है श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

8.02011 की पालना में तहसीलदार छबडा द्वारा नगर पालिका छबडा के नाम उक्त भूमि हस्तान्तरित कर दी नगर पालिका छबडा उक्त भूमि में प्रार्थीगण को देखल कर कब्जा करना चाहतें है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है प्रार्थी नगर पालिका छबडा की भूमि पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है जिनका अतिक्रमण न्यायहित व जनहित में हटाया जाना अत्यन्त आवश्यक है प्रार्थीगण का नगर पालिका की भूमि से बेदखल कर अतिक्रमण नही हटाया तो अप्रार्थीगण को राजस्व की हानि होगी। प्रार्थीगण को अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका छबडा द्वारा कई बार प्रयास किया गया परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण नही हटाया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तित ग्राम टोडी सम्वत् 2042,2044 में उंकार पुत्र मोतीलाल का कब्जा काश्त में दर्ज है नकल खसरा परिवर्तित सम्वत् 2057,2059 में बदरीलाल पुत्र औकार माली का कब्जा काश्त दर्ज है। नकल खसरा परिवर्तित सम्वत् 2061,2063,2068 में बदरीलाल पुत्र औंकार माली का कब्जा दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 488 दिनांक 25.10.2011 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के पत्र क्रमांक/एफ 4 (5) राजस्व/2011/8846–53 दिनांक 18.07.2011 की पालना नगर पालिका छबडा को खसरा नम्बर 336,337,338,343,335,365/1 की 101.18 बीघा भूमि हस्तान्तरित करने का नामान्तरण दर्ज किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 162 में नगरपालिका छबडा का नाम बतौर खातेदार दर्ज है चूंकि उक्त भूमि वर्तमान में नगर पालिका छबडा के खातेदारी में दर्ज है नगरपालिका छबडा के नाम दर्ज होने से पहलें प्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त था परन्तु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश से नगर पालिका छबडा के नाम दर्ज की जा चुकी है इसलिए वर्तमान में भूमि नगर पालिका छबडा के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी देने के प्रावधान नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अर्थात प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नही है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा